'बड़ा वह बनता है, जिसके विचार बड़े होते है : डी.पी.सिंह

अजमेर, (कासं)। 'बड़ा वह बनता है, जिसके विचार बड़े होते है, बड़ा वो बनता जो बड़े विचारों और सपनों को खुली आँखों से देखते हुए उन्हे पूरा करने की कोशिश करता है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति और पूर्व कुलपति उन्होंने खुली आँखों से सपना देखकर इस विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है।' यह कहना था राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सत्रहवें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष प्रो डीपी सिंह का।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में सत्रहवां स्थापना दिवस 3 मार्च 2025 को भव्य और दिव्य रूप से मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय व स्वागत गीत के साथ हुई।

प्रो सिंह ने आगे कहा कि हमें अपनी जड़ो से जुड़े रहते हुए, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को वैश्विक

> ■ 'बड़ा वह बनता है, जिसके विचार बड़े होते है, बड़ा वो बनता जो बड़े विचारों और सपनों को खुली आँखों से देखते हुए उन्हे पूरा करने की कोशिश करता है

नागरिक बनाना है और लोक कल्याण और वैश्विक कल्याण के लिए तैयार करना है। विकसित भारत 2047 का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सभी देख रहे है उसको पूरा हमारे शिक्षक और शिक्षण संस्थान ही करेंगे। यह विद्यार्थी ही भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी विश्व के लिए युगानुकूल है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए।

स्थापना दिवस के बारे में बोलते हुए प्रो सिंह ने आगे बताया कि स्थापना दिवस किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक स्वर्णिम इतिहास होता है जिसमे हम अपने अतीत और अपनी उपलब्धियों को याद करते है साथ ही भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करते है।

प्रो. डी. पी. सिंह ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय का परिसर 'बोलता परिसर' होना चाहिए, जहाँ दीवारें स्वयं अपनी कहानी कहें।

इससे पूर्व समारोह के प्रारंभ में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने मुख्य अतिथि प्रो डी पी सिंह और पद्मश्री के लिए नामांकित बेगम बतूल, शिव किशन बिस्सा (शीन काफ़ निज़ाम) का शॉल, भगवद गीता स्मृति चिन्ह और गणेश प्रतिमा के साथ स्वागत किया और समारोह में शामिल होने के लिए उहें हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने यह बात सभी से साझा की कि शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, प्रशासन, आधारभूत सुविधाओं और विद्यार्थियों के समर्थन के आधार पर, वर्ष 2023 में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए प्लस- प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ है और यूजीसी द्वारा कैटेगरी-1 विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ और हमारे फार्मसी विभाग को एन आई आर एफ रैंकिंग में 29वां स्थान प्राप्त हुआ। आयोजन के दौरान इस वर्ष राजस्थान से पद्मश्री के लिए नामांकित बेगम बतूल और शिव किशन बिस्सा (शीन काफ़ निज़ाम) को इस विशिष्ट समारोह में 'जीवन साधना गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। उन्हे पुरस्कार स्वरूप साइटैशन और 51,000 रुपये का चैक दिया गया। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 से एक परंपरा शुरू की है, जिसके अनुसार प्रति वर्ष स्थापना दिवस पर किसी एक कुलपति को जीवन साधना गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस वर्ष राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अरुण कुमार पुजारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ताओं के रूप में डॉ सुब्रत पांडा, सहायक प्रोफेसर, वायुमंडलीय विज्ञान विभाग, डॉ. निधि पारीक, सहायक प्रोफेसर, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग और डॉ कृष्ण मोहबे, सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग को शॉल, भगवद गीता, स्मृति चिन्ह और साइटैशन देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक व खेल महोत्सव 'सृजन' की विजेता टीमों को भी मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफिया प्रदान की गई।

छात्राओं का फेयरवेल यादें-2025 का आयोजन किया गया

ब्यावर (निसं) कार्यक्रम का आगाज महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. आर.सी. लोढ़ा, श्री वद्धर्मान शिक्षण समिति के मंत्री डॉ. नरेन्द्र पारख, अकादमिक प्रभारी डॉ. नीलम लोढ़ा एवं प्रथम, द्वितीय एवं स्नातकोत्तर पूवार्द्ध की छात्राओं द्वारा तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की छात्राओं का ढ़ोल की सुमधुर ध्वनि में तिलक वंदन एवं वद्धर्मान के स्मृति चिन्ह भेट कर स्वागत किया।

एडीए ने किया अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त

अजमेर, (कासं)। वरुण सागर स्थित अजयसर रोड पर अवैध अतिक्रमणों पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने सोमवार कार्रवाई करते ध्वस्त कर दिया। एडीए की टीम ने 15 से 16 मकान और 20 चार दीवारियों को अतिक्रमण मुक्त किया। इस दौरान मौके पर एडीए के अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

एडीए के भू-अभिलेख निरीक्षक संजीव गुप्ता ने बताया कि वरुण सागर स्थित अजयसर रोड पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने से पूर्व मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें समय भी दिया गया था कि अपने मकानों को खाली कर लें। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद सोमवार को एडीए की टीम ने जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को हटाया गया। एडीए की इस कार्रवाई के दौरान मौके भारी पुलिस तैनात रहा। एडीए अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्यवाही आगे जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विरोध दर्ज नहीं करवा सके। एडीए की टीम ने जेसीसी सभी अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर भूमि कब्जे में लेकर बोर्ड लगा दिया है।

सार-समाचार

नये आयकर बिल पर सेमिनार

मदनगंज-किशनगढ़ , (निस)।आईसीएआई की नवगठित सीए ब्रांच कमेटी ने बजट संशोधन, नया आयकर बिल सहित जीएसटी संशोधन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सीए नमन मालू जयपुर व सीए अंकित सोमानी अजमेर ने विस्तार पूर्वक संशोधन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे जानकारी दी। अध्यक्ष सीए विवेक गर्ग ने कहा सेमिनार का उद्देश्य कमेठी सदस्यों के साथ व्यापारियों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना है। संचालन सचिव जितेश कोठारी एवं सीकासा अध्यक्ष राघव बाहेती ने किया। इस दौरान सीए सीएम अगरवाल, रामावतार गुप्ता, धर्मेन्द्र माहेश्वरी, राजीव ईनाणी, सुशील बंसल, जुगल राठी, अजय टिंकर, मुकुल गर्ग, रवि अगरवाल, अनिरुद्ध बियानी, शेफाली, शिवांगी गांधी सहित अन्य सीए सदस्य उपस्थित रहे।

पायलट का किशनगढ़ में स्वागत

मदनगंज-किशनगढ़,(निस)। जयपुर से पाली जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के किशनगढ़ पहुंचने पर टोल प्लाजा के पास अभिनन्दन किया गया। पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के नेतृत्व में सैकड़ो कार्यकर्ताओ ने पायलट का साफा बंधवाकर स्वागत किया। कुछ देर रुकने के बाद पायलट सड़क मार्ग से पाली की और रवाना हो गये। इस दौरान पूर्व विधायक नाथूराम सनोदिया, एडवोकेट राकेश शर्मा, राजेश गुर्जर टोकड़ा, पंचायत समिति सदस्य रवि सिनोदिया, सरपंच इकबाल छिपा, पार्षद महेंद्र यादव, तक्की मोहम्मद, सुशील अजमेरा, रफीक चौहान, प्रमेन्द्र जोशी, मिडिया प्रभारी राजेश सैनी, युवा नेता शक्की मोहम्मद, तेजपाल बजाड़, रमेश जाजू, श्रवण गुर्जर, भागचंद गुर्जर, विपेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, दीदारअली, दिनेश सेवदा, इमरान खान, संजय राज, आमीर हनपी, मेवाराम गुर्जर, भंवर चेची, गणेश आचार्य, कानाराम गुर्जर सहित सैकड़ो कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

नेत्र शिविर का आयोजन

मेड़ता सिटी, (निसं)। मेड़ता निवासी राधेश्याम सरदार , भीबराज तोलंबिया परिवार की ओर से सोमवार को मेड़ता नामदेव समाज भवन में शंकर आई हॉस्पिटल जयपुर के सयुक्त तत्वाधान में विशाल नि:शुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेन्स प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 95 नेत्र रोग मरीजों का चेकअप किया गया। वही 10 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण के लिए जयपुर ले जाया गया । शिविर आयोजन कर्ता सरदार मल टेलर ने बताया कि शंकरा आई हॉस्पिटल के तत्वाधान में डॉ हर्षित ,अरविंद , आकाश , अंजली , पूजा सहित मेडिकल टीम ने सेवा दी । वही शिविर में नेत्र रोग शिविर जिसमें 95 मरीज इस शिविर से लाभान्वित हुए । वही 10 मरीज नेत्र लेन्स प्रत्यारोपण के लिए चुने गए । इस मौके पर अखिल भारतीय नामदेव टाक क्षत्रिय मारवाड़ी दर्जियान ट्रस्ट पुष्कर के संरक्षक व पूर्व अध्यक्ष नवरतन मल टाक, मेड़ता नामदेव दर्जी समाज अध्यक्ष श्याम सुंदर खत्ती, संरक्षक वीरेंद्र वर्मा, भगवती लाल टेल, कन्हैयालाल रूनवाल , दिनेश ऊंटवा, भीवराज टेलर, नवयुवक मंडल अध्यक्ष विनोद रुणवाल, समाज सेवी अमित टाव, कमल डिडवानिया सहित समाज के नागरिक मौजूद थे ।

मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 से

शाहपुरा निस । शाहपुरा के फुलियागेट बाहर स्थित सुखवाल समाज लालदास जी की बगीची में मंदिर निर्माण व श्रृंगी ऋषि तथा माता शांता की मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 मार्च मंगलवार से विधि विधान के साथ प्रारंभ होगा। यज्ञाचार्य पंडित योगेंद्र शर्मा के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस समारोह में 4 मार्च मंगलवार को प्रात: 9.15 बजे कलश यात्रा तथा 10.15 बजे देवताओं का आव्हान होगा। बुधवार 5 मार्च को 9.15 बजे हवन व दोपहर में मूर्तियों का वास कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम संयोजक सूर्य प्रकाश ओझा ने बताया कि तीन दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम का समापन 6 मार्च गुरुवार को होगा। गुरुवार को प्रात: 8.15 बजे सहस्त्रधारा अभिषेक 10.32 पर प्राण प्रतिष्ठा एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा तथा दोपहर में 12.15 बजे महाप्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा. सूर्य प्रकाश ओझा ने बताया कि सुखवाल समाज लाल दास जी की बगीची में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

रैली निकालकर जताया विरोध

बिजयनगर, (निसं)। बिजयनगर शहर के बहुचर्चित नाबालिग छात्राओं के साथ हुए शोषण और ब्लैकमेलिंग कांड को लेकर लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है । रविवार को सर्व ब्राह्मण समाज ने जन आक्रोश रैली निकालकर जबरदस्त तरीके से विरोध जताया। आक्रोश रेली रविवार प्रात:कृषि मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए विवेकानंद सर्किल पहुंची । पुलिस प्रशासन के व्यापक बंदोबस्त के बीच निकली गई आक्रोश रैली में युवा एवं मातृशक्ति ने आरोपियो को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग के नारो के साथ हाथों में तख्तिया लिए साथ चल रही । शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ सज्जन सिंह थानाधिकारी सीआई करण सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सर्व ब्राह्मण समाज लोगों ने तहसीलदार रामकिशोर जांगिड़ को ज्ञापन देते हुए बताया कि इस जघन्य ने अपराध में शामिल आरोपियों को फांसी दी जाए। उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए। मामले की जांच एस आई टी का गठन कर अथवा सी बी आई द्वारा निष्पक्ष जांच हो।पीड़ित परिवारों को राहत और न्याय मिले। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की गई । आक्रोश रैली में भाजपा अजमेर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा गोविंद नारायण त्रिपाठी, सुजीत शर्मा, कन्हैयालाल व्यास, कुणाल मिश्रा, अनिल कुमार तिवारी, राकेश खंडेलवाल, अरुण कुमार जोशी, राजेंद्र शर्मा, हरीश त्रिपाठी, मनीष तिवारी ओम प्रकाश शर्मा धीरेंद्र चाष्टा महेंद्र शर्मा ओम प्रकाश पांडया विश्वनाथ पाराशर प्रद्युम्न व्यास दिनेश शर्मा मातृशक्ति में पार्षद निधि शर्मा, संगीता त्रिपाठी, नीलम शर्मा सहित सैकड़ो की संख्या में मातृशक्ति सहित कई गणमान्य आसपास के क्षेत्र के सर्व ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। बिजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर पूरे समाज में गहरा आक्रोश है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के साथ सर्व ब्राह्मण समाज ने स्पष्ट किया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की मांग शामिल है ।

लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए कार्य स्थलों

भीलवाड़ा। कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नगेन्द्र कुमार तोलम्बिया ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 लागू किया जा चुका है। अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट...तथा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की वेबसाइट...पर उपलब्ध है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालय आदि कार्य स्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। यदि समिति का गठन नहीं किया गया तो राशि 50,000/- रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

उन्होंने ऐसे जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखंड स्तर पर स्थित कार्यालय एवं प्रशासनिक इकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक 10 या 10 से अधिक कार्यरत कार्मिक कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्य स्थल पर आंतरिक समिति का गठन आदेश अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ प्रदर्शित करना अनिवार्य है। जिन विभागों में पहले से ही समितियां बनी हुई हैं और तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है उन समस्त आंतरिक शिकायत समितियों का पुनर्गठन करना होगा। नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन तथा वार्षिक रिपोर्ट मय समिति के गठन की सूचना सहित जिला कलक्टर एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, को भिजवाना अनिवार्य है। सूचना कार्यालय की ई-मेल आईडी पर भी भिजवानी होगी।

बच्चों ने किया मॉडल स्कूल की अटल लैब का भ्रमण

राक्षी (बनेड़ा) के कक्षा नवमी के भैया बहनों ने विद्यालय में प्रारंभ हुई व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्ड विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु शाहपुरा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल शाहपुरा की अटल लैब का भ्रमण किया जहां विद्यालय के भैया बहनों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स की बारीकियां को समझा, अटल लैब प्रभारी व्याख्याता बुद्धि प्रकाश मीणा ने लैब में निर्मित प्रोजेक्ट स्मार्ट वॉटर प्लांट, रोबोट कार, स्मार्ट अटेंडेंस प्रोजेक्ट, स्मार्ट डोर लॉक, स्मार्ट वॉटर पंप, स्मार्ट नोटिस बोर्ड जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी । इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य ईश्वर लाल मीणा, शंकर लाल कुमावत, मॉडल स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक परमेश्वर प्रसाद कुमावत उपस्थित रहे। व्यावसायिक शिक्षा दल में 9 वीं कक्षा के 40 भैया बहनों ने भाग लिया।

NAME CHANGE

I have changed my name from Bhagayshree Khemwani D/O Dayaram Khemwani to Bhagyashree Khemwani D/O Dayaram Khemwani. Address: House no 3/350, Saket Nagar, Housing Board, Dist- Beawar-305901 (Rajasthan)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मोती लाल माकड पुत्र श्री चुतरा राम माकड, आयु वर्ष जाति-जाट, निवासी माकड़ो का मोहल्ला, कैरिया माकडा जिला नागौर की ग्राम लोहागल, तहसील अजमेर के खसरा नंबर 983 (नया), 1005 (पुराना) प्लाट नम्बर 276, क्षेत्रकाल 200.00 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधिन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन की कारवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता पत्नी महेंद्र सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का दिनांक 5 जुलाई 2023 को निवास स्थान पर स्वर्गवास हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे।

प्रार्थी-महेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमाती संगीता पाटनी पत्नी राजेश पाटनी निवासी 4-के-26, जनता नगर कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्व ग्राम नौसर, तहसील अजमेर के खसरा नंबर 168, प्लॉट नंबर क्षेत्रफल 200.71 वर्गगज के भूखंड की पत्रवाली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली), उत्तर-पश्चिम रेलवे, अजमेर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिये गये कार्य के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा संख्या: मं.रे.प्र. (बि.) 29-24-25, कार्य का नाम: All Div.: Replacement of Over Head Line network by under ground cable on age cum condition basis in Railway Colonies in Ajmer-Chittorgarh section, अनुमानिल लागत: ₹1,09,43,020/-, बयाना राशि: ₹2,04,700/-, ई-निविदायें बन्द होने की तिथि: 24.03.25, निविदा संख्या: मं.रे.प्र. (बि.) 30-24-25, कार्य का नाम: All Div.: Replacement of Over Head Line network by under ground cable on age cum condition basis in Railway Colonies in Chittorgarh -Udaipur section., अनुमानिल लागत: ₹1,49,46,940/-, बयाना राशि: ₹2,24,700/-, ई-निविदायें बन्द होने की तिथि: 24.03.25. उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट का पता www.ireps.gov.in

268-PS/25

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

आम सूचना

मुझ प्रार्थी के कब्जे एवं स्वामित्व के आवासीय फ्लैट क्रमांक,Cx/TF/7 स्थित योजना JP 12 रीजेंसी बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, श्यामपुर, बुहारिया, वाटिका रोड सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र क्रमांक, F-14/JP-12/(C3/TF/7-MIG-A)JDA/JONE-14/AH P/2011/D-2423 मेरे आवास वकील कॉलोनी मांडलगढ़, जिला- भीलवाड़ा (राजस्थान) से फोटो कॉपी के लिए उपखण्ड कार्यालय के सामने ले जाते समय दिनांक 24 फरवरी 2025 को सुबह 11:00 बजे रास्ते में कहीं गिर गया, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट भी थाना मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में ऑनलाइन दर्ज करवा दी गई है। अत: जिस किसी को भी उक्त दस्तावेज मिले, कृपया सूचित करावे एवं इसका दुरुपयोग नहीं करें। प्रार्थी- नितिन सारस्वत पिता गिरधारी लाल आचार्य मांडलगढ़, जिला -भीलवाड़ा (राजस्थान) मोबाइल नंबर 9982182782

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम चौरसियावास योजना के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 12 खसरा संख्या 1461 क्षेत्रफल 197.33 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री जयकिशन चवलानी पुत्र श्री लेखराज चवलानी निवासी झूलेलाल कॉलोनी, अजयनगर, अजमेर की मृत्यु दिनांक 18/01/2025 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश: (1) निकिता चवलानी पुत्री स्व. श्री जयकिशन चवलानी (2) प्रीती चवलानी पुत्री स्व. श्री जयकिशन चवलानी निवासी (दोनों) वार्ड नं. 11, अजयनगर, अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की राजस्व ग्राम चौरसियावास योजना के आवासीय खसरा नं. 1642 क्षेत्रफल 617.51 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति अतुल भार्गव पुत्र जितेन्द्र नाथ भार्गव निवासी B-101 वैशाली नगर जयपुर की मृत्यु दिनांक 1/2/22 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश (1) श्रीमती सुमिता भार्गव पत्नि स्व. अतुल भार्गव (2) नवतेज भार्गव पुत्र स्व. अतुल भार्गव (3) अशिका भार्गव (4) रिशीका भार्गव पुत्रियां स्व. अतुल भार्गव निवासी B-101 वैशाली नगर जयपुर द्वारा अपने सहहिस्सेदार (1) श्रीमती सुमिता भार्गव पत्नि स्व. अतुल भार्गव निवासी B-101 वैशाली नगर जयपुर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29/12/2023 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में कि सी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती डिम्पल रोहरा पत्नी श्री अमित रोहरा निवासी 49 हिल टॉप कॉलोनी, अजय नगर, अजमेर, राजस्व ग्राम माकड़वाली, तहसील अजमेर के खसरा नंबर 426 पुराना 3188 नया, प्लाट नंबर 106, क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज के भूखंड की पत्रवाली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल: अजमेर

क्रमांक: 1217 दिनांक: 19-11-2024

जाहिर आम सूचना

आवास संख्या 1-क-17, शास्त्रीनगर, अजमेर क्षेत्रफल 166.00 व.मी. मूल आवंटी श्री कमला कान्त शर्मा पुत्र श्री अम्बा प्रसाद शर्मा को आवंटित कर दिनांक 15.01.1973 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था श्री कमला कान्त शर्मा पुत्र श्री अम्बा प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 05.09.1973 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा आवास का पंजीयन करवा लिया गया है। श्री के.के. शर्मा पुत्र श्री अम्बा प्रसाद शर्मा द्वारा श्री ओम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री प्रभु दयाल चौधरी के पक्ष में मुख्तयारनामा आम निष्पादित किया गया। श्री ओम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री प्रभू दयाल चौधरी द्वारा आवास का बैचान श्री बृजेश चन्द शर्मा पुत्र श्री ग्यारसीराम शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नि श्री बृजेश चन्द शर्मा को दिनांक 23.06.1993 को कर दिया गया। श्री बृजेश चन्द शर्मा पुत्र श्री ग्यारसीराम शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा पत्नि श्री बृजेश चन्द शर्मा द्वारा आवास का बैचान श्रीमती रेखा खण्डेलवाल पत्नि श्री संजय खण्डेलवाल एवं श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम खण्डेलवाल को दिनांक 19.11.2007 को कर दिया गया। पुन: श्रीमती रेखा खण्डेलवाल पत्नि श्री संजय खण्डेलवाल एवं श्री संजय खण्डेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम खण्डेलवाल द्वारा आवास का बैचान श्रीमती संगीता सामंत पुत्री श्री के. एस. जैन को दिनांक 03.06.2008 को कर दिया गया जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1648 में पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 2008002020 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 3586 के पृष्ठ संख्या 391 से 401 पर दिनांक 03.06.2008 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती संगीता सामंत पुत्री श्री के.एस. जैन ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती संगीता सामंत पुत्री श्री के. एस. जैन का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री चिराग गोयल गोयल पुत्र श्री दिनेश कुमार निवासी ई-347, आरम्भ तिलक मार्ग मेहंदीखोला मंदिर के सामने, शास्त्री नगर, अजमेर, राजस्व ग्राम लोहागल, तहसील अजमेर के खसरा नंबर-1068 नया 1000 पुराना, प्लॉट नंबर-क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज के भूखंड की पत्रावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अत: किसी भी हितबद्धकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(उपायुक्त उत्तर)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल: अजमेर

क्रमांक: 1657 दिनांक: 3-3-25

जाहिर आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 4/10-सी, पंचशील, अजमेर क्षेत्रफल 124.69 वर्ग मूल आवंटी श्रीमती गन्धारी कटारिया पत्नि श्री अमृत सागर कटारिया को आवंटित कर दिनांक 14.05.2010 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्रीमती गन्धारी कटारिया पनि श्री अमृत सागर कटारिया द्वारा दिनांक 31.10.2012 को उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। श्रीमती गन्धारी कटारिया पत्नि श्री अमृत सागर कटारिया द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री श्रीमती मोनिका भटनागर पुत्री श्री अमृत सागर कटारिया एवं पत्नि श्री आशीष भटनागर के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 30.12.2022 को निष्पादित किया गया। श्रीमती गन्धारी कटारिया पनि श्री अमृत सागर कटारिया